पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ए0–33/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–7] रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2006 ई0 (भाद्रपद 25, 1928 शक सम्वत्) [संख्या–37

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	331–349	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	119–120	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तरांचल	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति / पदोन्नति / समायोजन

29 अगस्त, 2006 ई०

संख्या 692 / XXVII(8) / वाणि० कर / 2006–तात्कालिक प्रभाव से वाणिज्य कर विभाग, उत्तरांचल के अन्तर्गत चयन वर्ष 2006–07 में ज्वाइन्ट कमिश्नर, वेतनमान, रुपये 12000–16500 के रिक्त पदों के सापेक्ष निम्नांकित अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त पदोन्नत करते हुए उनके सम्मुख अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :–

क्र०सं०	अधिकारी का नाम / वर्तमान तैनाती	संयुक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती
1.	श्री एन० एस० पांगती / डिप्टी कमि० (क०नि०)–2, वाणिज्य कर, देहरादून	ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा० / प्रवर्तन), गढ़वाल जोन, हरिद्वार
2.	श्री एच० एस० नबियाल / डिप्टी कमिश्नर (क०नि०)–5, वाणिज्य कर, देहरादून	ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), काशीपुर संभाग, काशीपुर
3.	श्री एन० एस० दताल / डिप्टी कमिश्नर (क०नि०), वाणिज्य कर, खटीमा	संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), हरिद्वार संभाग, हरिद्वार।

2–उपर्युक्तानुसार की गयी पदोन्नतियाँ "उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000" की धारा 73(2) के अनुसार भारत सरकार के स्तर से अंतिम रूप से उत्तरांचल राज्य हेतु आवंटित तथा वर्तमान में उ०प्र० में कार्यरत अधिकारियों के उत्तरांचल में योगदान करने वाले अधिकारियों के सापेक्ष ज्येष्ठता परिवर्तित होने के प्रतिबन्ध के अधीन परिवर्तनीय होगी।

3–इसी क्रम में ज्वाइन्ट कमिश्नर के पदों पर पदोन्नति के फलस्वरूप डिप्टी कमिश्नर के रिक्त होने वाले पदों का अतिरिक्त प्रभार भी एतद्द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को निम्नानुसार प्रदान किया जाता है :–

अधिकारी का नाम / वर्तमान तैनाती	ज्वाइन्ट कमि० के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त होने वाला पद
1–श्री होरी लाल, डिप्टी कमि० (क०नि०)–1, देहरादून एवं आहरण वितरण अधिकारी, देहरादून तथा अतिरिक्त प्रभार डि०कमि० (क०नि०)–4, देहरादून	डि०कमि० (क०नि०)–2, वाणिज्य कर, देहरादून
2–श्री टी०पी० नौटियाल, डिप्टी कमि० (क०नि०)–3, वाणिज्य कर, देहरादून एवं अतिरिक्त प्रभार डिप्टी कमि०(क०नि०)–6, वाणिज्य कर, देहरादून	डिप्टी कमि०(क०नि०)–5, वाणिज्य कर, देहरादून
3–श्री पीयूष कुमार, डिप्टी कमि०(क०नि०)–1 व 2, वाणिज्य कर, रुद्रपुर	डिप्टी कमि० (क०नि०) वाणिज्य कर, खटीमा।

4–प्रस्तर–3 के अनुसार समायोजित अधिकारियों को इसके लिये कोई अतिरिक्त वेतन / भत्ते देय नहीं होंगे।

उपर्युक्तानुसार पदोन्नत / समायोजित अधिकारी तत्काल अपनी नयी तैनाती के स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त।

चिकित्सा अनुभाग–5

कार्यालय ज्ञाप

22 अगस्त, 2006 ई०

संख्या 184/XXVIII–5–2006–58/2006–तात्कालिक प्रभाव से श्री राज्यपाल महोदय जनपद टिहरी गढ़वाल का मुख्यालय नरेन्द्रनगर से नई टिहरी में स्थानान्तरित हो जाने के कारण बौराड़ी, नई टिहरी स्थित संयुक्त चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय तथा नरेन्द्र नगर स्थित श्रीदेव सुमन चिकित्सालय को संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्रदान करते हैं।

2–जनपद टिहरी स्थित उक्त दोनों चिकित्सालयों का उक्त व्यवस्था के उपरान्त निम्नानुसार नाम परिवर्तित किया जाता है :–

वर्तमान नाम	परिवर्तित नाम
1–श्रीदेव सुमन जिला चिकित्सालय, नरेन्द्र नगर, टिहरी	1–श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल
2–संयुक्त चिकित्सालय, बौराड़ी, टिहरी	2–जिला चिकित्सालय, बौराड़ी, टिहरी गढ़वाल।

आज्ञा से,
आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–3

अधिसूचना

25 अगस्त, 2006 ई०

संख्या 676/चि०–3–2006–210/2002–भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का संख्यांक 8) की धारा 19 के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (घघ) एवं (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल, राज्य भेषजी परिषद् का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं जिसमें क्रमशः निम्नलिखित निर्वाचित सदस्य, नाम निर्दिष्ट सदस्य तथा पदेन सदस्य होंगे :–

निर्वाचित सदस्य–धारा 19 (क) :

1. श्री हरीश चन्द्र देवली, डी०फार्म०, ग्राम कमेड़ा, डाकघर गौचर, जिला चमोली।
2. श्री सतीश चन्द्र, डी०फार्म०, ग्राम व डाकघर बगोटी द्वारा लोहाघाट, जिला चम्पावत।
3. श्री बुद्धि सिंह कलूड़ा, डी०फार्म०, गांधी नगर डान्डा, धर्मपुर, देहरादून।
4. श्री नारायण सिंह राणा, डी०फार्म०, ग्राम सकन्याकोट, पो० भगतोला, जिला अल्मोड़ा।
5. श्री दया कृष्ण, डी०फार्म०, ग्राम कफोली, डाकघर हरसीला, जिला बागेश्वर।
6. श्री लक्ष्मण सिंह मण्डारी, डी०फार्म०, ग्राम व पो० जुणगा डुन्डा, जिला उत्तरकाशी।

नामित सदस्य–धारा 19 (ख) :

1. श्री जयपाल सिंह राणा, डी० फार्म०, बी०ए०, एल०एल०बी०, फार्मासिस्ट ग्रेड–I, केन्द्रीय चिकित्सालय, वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून।
2. श्री एस०के० गुप्ता, बी०एससी०, बी०फार्म०, निदेशक, साई मैडिसिन एजेन्सी, गांधी रोड, देहरादून।
3. श्री एस०एस० चौहान, डी०फार्म०, चीफ फार्मासिस्ट, दून चिकित्सालय, देहरादून।

4. श्री गुरुदर्शन सिंह बेदी, एम० फार्म०, वर्क्स मैनेजर (विनिर्माण), आई०डी०पी०एल०, ऋषिकेश, देहरादून।

5. श्री अशोक कक्कड़, बी० फार्म०, विभागाध्यक्ष (विनिर्माण), श्रीमन्त इन्टास फार्मास्युटिकल, कैम्प रोड, सेलाकुई, देहरादून।

चिकित्सा परिषद् के नामित प्रतिनिधि 19 (ग) :

1. डा० महावीर सिंह, एम०डी०, बालरोग विज्ञानी (पिडियेट्रीशियन), आराघर, देहरादून।

पदेन सदस्य–धारा 19 (घ) :

राज्य के महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून अथवा उनका नामित प्रतिनिधि।

धारा 19 (घघ) :

राज्य के औषधि नियंत्रण अधिकारी, उत्तरांचल स्वास्थ्य सेवाएं अथवा उनका नामित प्रतिनिधि।

धारा 19 (ङ) :

यदि राजकीय विश्लेषक एक से अधिक हों तो राज्य के विश्लेषकों में से राज्य सरकार द्वारा मनोनीत राज्य औषधि विश्लेषण अधिकारी।

उक्त के अतिरिक्त श्री राज्यपाल भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 30 की उपधारा (6) के अधीन उक्तवत् राज्य परिषद् का गठन हो जाने के फलस्वरूप यह निर्देश देते हैं कि प्रथम रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राप्त समस्त आवेदन शुल्क व उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग राज्य परिषद् के नाम जमा किया जायेगा।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 676/M-3-2006-210/2002**, dated August 25, 2006 for general information :

NOTIFICATION

August 25, 2006

No. 676/M-3-2006-210/2002--In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b), (c), (d), (dd) and (e) of the Pharmacy Act, 1948 (Act No. 8 of 1948), the Governor is pleased to accord sanction to constitute the State Pharmacy Council comprising the following elected members, nominated members and ex-officio members, respectively :--

Elected Members--Section 19(a) :

1. Sh. Harish Chandra Devli, D. Pharm., Vill. Kameda, P.O. Gaucher, Distt. Chamoli.
2. Sh. Satish Chandra, D. Pharm., Vill. & P.O. Bagoti Via Lohaghat, Distt. Champawat.
3. Sh. Budhi Singh Kaluda, D. Pharm., Gandhi Nagar Danda, Dharampur, Dehradun.
4. Sh. Narayan Singh Rana, D. Pharm., Vill. Sakanyakot, P.O. Bhagtola, Distt. Almora.
5. Sh. Daya Krishan, D. Pharm., Vill. Kofoli, P.O. Harsila, Distt. Bageshwar.
6. Sh. Laxman Singh Bhandari, D. Pharm., Vill. & P.O. Junga Dunda, Distt. Uttarkashi.

Nominated Members--Section 19(b) :

1. Sh. Jai Pal Singh Rana, D. Pharm., B.A., L.L.B., Pharmacist, Grade-I, Central Hospital, F.R.I., Dehradun.
2. Sh. S.K. Gupta, B.Sc., B. Pharm., Director, Sai Medicine Agency, Gandhi Road, Dehradun.
3. Sh. S.S. Chauhan, D. Pharm., Chief Pharmacist, Doon Hospital, Dehradun.

4. Sh. Guru Darshan Singh Bedi, M. Pharm., Works Manager (Manufacturing), I.D.P.L., Rishikesh, Dehradun.

5. Sh. Ashok Kakkad, B. Pharma , Head of the Department (Manufacturing) Shrimant Intas Pharmaceuticals, Camp Road, Selaqui, Dehradun.

Nominated Representative of Medical Council--Section 19(c) :

1. Dr. Mahveer Singh, M.D., Paediatrician, Araghar, Dehradun.

Ex--Officio, Member--Section 19(d) :

Director General, State Medical, Health and Family Welfare, Dehradun or his nominated representative.

Section 19(dd) :

Drug Control Officer, Uttaranchal Health Services or his nominated representative.

Section 19(e) :

State Drug Analysis Officer nominated by the State Government from amongst the analysts, in case there are more than one Government Analysts.

In addition to the above, the Governor further directs under sub-section (6) of section 30 of Pharmacy Act, 1948, after the constitution of the State Council, that all or any specified part of the application fees received for registration in the first register shall be credited to the State Council.

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,
Principal Secretary.

शिक्षा अनुभाग--6

अधिसूचना

23 अगस्त, 2006 ई०

संख्या 681 / XXIV(6) / 2006--6(145)06--श्री राज्यपाल, पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2006) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अधिनियम को प्रवृत्त करने के लिए एतद्द्वारा 05 अप्रैल, 2006 की तारीख नियत करते हैं।

आज्ञा से,

एस० राजू,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the University of Patanjali Act, 2006 for general information :

NOTIFICATION

August 23, 2006

No. 681/XXIV(6)/2006-6(145)06--In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the University of Patanjali Act, 2006 (Act No. 04 of 2006), the Governor, hereby appoint the 5th day of April, 2006 as the date on which the above said Act shall come into force.

By Order,

S. RAJU,
Secretary.

संख्या 76/VIII/03–प्रशि०/2006

प्रेषक,

टी० आर० भट्ट,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग देहरादून : दिनांक 24 अगस्त, 2006

विषय :– पंतनगर में विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए इसके संचालनार्थ पदों का सृजन किए जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद ऊधमसिंह नगर के पंतनगर में विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए, इसके लिए प्रस्तावित सात व्यवसाय कोपा, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, पेंटर जनरल, इन्स्ट्रूमेंट मेकेनिक एवं वैल्डर हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 24 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद की भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28–02–2007 तक के लिए बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंतनगर, जिला ऊधमसिंह नगर हेतु पदों का विवरण:

क्र०सं०	पदों का नाम	स्वीकृत किये जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	प्रधानाचार्य	01	8000–13500
2.	कार्यदेशक	01	6500–10500
3.	व्यवसाय अनुदेशक	07	5000–8000
4.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5000–8000
5.	अनुदेशक कला/गणित	01	5000–8000
6.	सहायक भण्डारी	01	4000–6000
7.	वरिष्ठ सहायक	03	4000–6000
8.	कनिष्ठ सहायक	01	3050–4590
9.	भण्डार/कार्यशाला परिचर	02	2610–3540
10.	अनुसेवक	01	2550–3200
11.	चौकीदार	04	2550–3200
12.	स्वच्छकार	01	2550–3200
	योग :	24	

2–उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ–साथ शासन द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

प्रारम्भ किये जा रहें व्यवसायों का विवरण :

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1.	कोपा	01	20
2.	फिटर	01	16
3.	टर्नर	01	12
4.	मशीनिस्ट	01	12
5.	पेंटर जनरल	01	16
6.	इन्स्ट्रूमेन्ट मेकेनिक	01	16
7.	वैल्डर	01	12

3–उक्त संस्थान के अनावर्तक व्ययों एवं अधिष्ठान के खर्चे हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रुपये 2,70,38,000/– (रुपये दो करोड़ सत्तर लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

बजट व्यवस्था : (धनराशि हजार रुपये में)

क्र0सं0	मद का नाम	आवश्यक धनराशि
1.	01–वेतन	01
2.	03–महंगाई भत्ता	01
3.	04–यात्रा भत्ता	01
4.	06–अन्य भत्ते	01
5.	08–कार्यालय व्यय	10
6.	09–विद्युत देय	01
7.	10–जलकर/जल प्रभार	01
8.	21–छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	01
9.	26–मशीनें साज–सज्जा/उपकरण	27000
10.	42–अन्य व्यय	20
11.	48–महंगाई वेतन	01
	योग :	27038

4–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5–व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएस एण्ड डी, की दरों अथवा शर्तों, टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन०सी०टी०टी० के मानक के अनुसार ही किया जायेगा।

6–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2007 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

7–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अनुदान संख्या–16 मुख्य लेखाशीर्षक, 2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान–आयोजनागत–00 के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8–यह आदेश के अशासकीय संख्या यू०ओ०–475/वित्त अनुभाग–5/2006, दिनांक 10 अगस्त, 2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संख्या 1213/VII/72–प्रशि०/2006

प्रेषक,

टी० आर० भट्ट,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग देहरादून : दिनांक 10 अगस्त, 2006

विषय – द्वारीखाल, जनपद–पौड़ी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए 15 अस्थायी पदों का सृजन किए जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद–पौड़ी के द्वारीखाल में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए, इसके लिए प्रस्तावित तीन व्यवसाय क्रमशः डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, ड्रेस मेकिंग एवं प्लम्बर हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 15 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद की भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28–02–2007 तक के लिए बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, द्वारीखाल, जनपद–पौड़ी हेतु पदों का विवरण :

क्र०सं०	पदों का नाम	स्वीकृत किये जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	कार्यदेशक श्रेणी–तीन	01	6500–10500
2.	व्यवसाय अनुदेशक	03	5000–8000
3.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5000–8000
4.	अनुदेशक कला / गणित	01	5000–8000
5.	सहायक भण्डारी	01	4000–6000
6.	वरिष्ठ सहायक	01	4000–6000
7.	कनिष्ठ लिपिक	01	3050–4590
8.	भण्डार / कार्यशाला परिचर	02	2610–3540
9.	अनुसेवक	01	2550–3200
10.	चौकीदार	02	2550–3200
11.	स्वच्छकार	01	2550–3200
	योग :	15	

2–उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ–साथ शासन द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

प्रारम्भ किये जा रहे व्यवसायों का विवरण :

क्र०सं०	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	20
2.	ड्रेस मेकिंग	01	16
3.	प्लम्बर	01	16

3–उक्त संस्थान के अनावर्तक व्ययों एवं अधिष्ठान के खर्चे हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रुपये 27,26,000 / – (रुपये सत्ताईस लाख अठ्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

बजट व्यवस्था : (धनराशि हजार रुपये में)

क्र0सं0	मद का नाम	आवश्यक धनराशि
1.	01—वेतन	01
2.	03—महंगाई भत्ता	01
3.	04—यात्रा भत्ता	01
4.	06—अन्य भत्ते	01
5.	08—कार्यालय व्यय	70
6.	09—विद्युत देय	01
7.	10—जलकर/जल प्रभार	01
8.	21—छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	01
9.	26—मशीने साज—सज्जा/उपकरण	2600
10.	42—अन्य व्यय	50
11.	48—महंगाई वेतन	01
	योग :	2728

4—उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक की व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5—व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएस एण्ड डी, की दरों अथवा शर्तों, टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन0सी0वी0टी0 के मानक के अनुसार ही क्रय किया जायेगा।

6—स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31—03—2007 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

7—उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006—07 हेतु अनुदान संख्या—16 मुख्य लेखाशीर्षक 2230—श्रम तथा रोजगार, 03—प्रशिक्षण, आयोजनागत, 003—दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 03—दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान, आयोजनागत—00 के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8—यह आदेश के अशासकीय संख्या यू0ओ0—460/वित्त अनुभाग—5/2006 दिनांक 01 अगस्त, 2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संख्या 1214/VIII/73–प्रशि0/2006

प्रेषक,

टी0 आर0 भट्ट,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग देहरादून : दिनांक 10 अगस्त, 2006

विषय : मासी जनपद अल्मोड़ा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए 15 अस्थायी पदों के संचालनार्थ विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अल्मोड़ा के मासी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुये इसके लिए प्रस्तावित तीन व्यवसाय क्रमशः डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ड्राईवर कम मैकेनिक एवं फिटर हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 15 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद को भरे जाने की तिथि जो भी बाद में हो से दिनांक 28.02.2007 तक के लिए बशर्ते की ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मासी जनपद अल्मोड़ा हेतु पदों का विवरण

क्र0सं0	पदों का नाम	स्वीकृत किये जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	कार्यदेशक श्रेणी–तीन	01	6500–10500
2.	व्यवसाय अनुदेशक	03	5000–8000
3.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5000–8000
4.	अनुदेशक कला/गणित	01	5000–8000
5.	सहायक भण्डारी	01	4000–6000
6.	वरिष्ठ सहायक	01	4000–6000
7.	कनिष्ठ लिपिक	01	3050–4590
8.	भण्डार/कार्यशाला परिचर	02	2610–3540
9.	अनुसेवक	01	2550–3200
10.	चौकीदार	02	2550–3200
11.	स्वच्छकार	01	2550–3200
	योग :	15	

2. उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ साथ शासन द्वारा समय समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

प्रारम्भ किये जा रहे व्यवसायों का विवरण :

क्र०स०	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	20
2.	ड्राईवर कम मैकेनिक	01	16
3.	फिटर	01	16

3 उक्त संस्थान के अनावर्तक व्ययों एवं अधिष्ठान के खर्चे हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रुपये 36,28,000/ (रुपये छत्तीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

बजट व्यवस्था : (धनराशि हजार रुपये में)

क्र०स०	मद का नाम	आवश्यक धनराशि
1	01–वेतन	01
2.	03–महगाई भत्ता	01
3	04–यात्रा भत्ता	01
4.	06–अन्य भत्ते	01
5.	08–कार्यालय व्यय	70
6.	09–विद्युत देय	01
7.	10–जलकर/जल प्रभार	01
8.	21–छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	01
9.	26–मशीनें साज–सज्जा/उपकरण	3500
10.	42–अन्य व्यय	50
11.	46–महंगाई वेतन	01
	योग :	3628

4 उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है कि उक्त मद में अनुदित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों व आदेशों का उल्लंघन होता है जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है मितव्ययता के सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों के अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5–व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डी०जी०एस० एण्ड डी० की दरों अथवा शर्तों टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन०सी०वी०टी० के मानक के अनुसार ही क्रय किया जायेगा।

6 स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 03 2007 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

7 उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अनुदान संख्या 16, मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार 03 प्रशिक्षण आयोजनागत 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान आयोजनागत–00 के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या यू०ओ० 458/वित्त अनुभाग 5/2006 दिनांक 31 जुलाई 2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संख्या 1216/VIII/75–प्रशि0/2006

प्रेषक

टी0 आर0 भट्ट,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग देहरादून : दिनांक 10 अगस्त, 2006

विषय - एकेश्वर, जनपद पौड़ी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए 15 अस्थायी पदों का सृजन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी के एकेश्वर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए इसके लिए प्रस्तावित तीन व्यवसाय क्रमशः डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, [illegible] टैक्नालाजी एवं फिटर हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 15 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद की भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2007 तक के लिए बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायं, को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एकेश्वर, जनपद पौड़ी हेतु पदों का विवरण

क्र0सं0	पदों का नाम	स्वीकृत किये जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	कार्यदेशक श्रेणी–तीन	01	6500–10500
2.	व्यवसाय अनुदेशक	03	5000–8000
3.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5000–8000
4.	अनुदेशक कला/गणित	01	5000–8000
5.	सहायक भण्डारी	01	4000–6000
6.	वरिष्ठ सहायक	01	4000–6000
7.	कनिष्ठ लिपिक	01	3050–4590
8.	भण्डार/कार्यशाला परिचर	02	2610–3540
9.	अनुसेवक	01	2550–3200
10.	चौकीदार	02	2550–3200
11.	स्वच्छकार	01	2550–3200
	योग :	15	

2. उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ–साथ शासन द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

प्रारम्भ किये जा रहे व्यवसायों का विवरण :

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	20
2.	फैशन टैक्नोलाजी	01	16
3	फिटर	01	16

3. उक्त संस्थान के अनावर्तक व्यय एवं अधिष्ठान के खर्चे हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रुपये 32,28,000/- (रुपये बत्तीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

बजट व्यवस्था -

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र0सं0	मद का नाम	आवश्यक धनराशि
1.	01—वेतन	01
2.	03—महंगाई भत्ता	01
3.	04—यात्रा भत्ता	01
4.	06—अन्य भत्ते	01
5.	08—कार्यालय व्यय	70
6.	09—विद्युत देय	01
7.	10—जलकर/जल प्रभार	01
8.	21—छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	01
9.	26—मशीनें साज—सज्जा/उपकरण	3100
10.	42—अन्य व्यय	50
11.	46—महंगाई वेतन	01
	योग	3228

4. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है जिस व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। मितव्ययता के सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेश/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5. व्यय करते समय स्टोर पर्चेज रूल्स, डी0जी0एस0 एण्ड डी की दरों अथवा शर्तों टेण्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन0सी0वी0टी0 के मानक के अनुसार ही किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-03-2007 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

7. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु अनुदान संख्या 16, मुख्य लेखाशीर्षक 2230 श्रम तथा रोजगार 03 प्रशिक्षण आयोजनागत 003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान आयोजनागत—00 के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त अनुभाग के अशासकीय संख्या यू0ओ0 459/वित्त अनुभाग 5/2006 दिनांक 01 अगस्त, 2006 अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संख्या 1217/VIII/76–प्राशा0/2006

प्रेषक,

टी0 आर0 भट्ट,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग

देहरादून : दिनांक 10 अगस्त, 2006

विषय दिगालीचौड जनपद चम्पावत मे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए इसके संचालनार्थ विभिन्न वेतनमानो के कुल 15 अस्थायी पदों का सृजन किए जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चम्पावत के दिगालीचौड में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए इसके लिए प्रस्तावित तीन व्यवसाय क्रमशः डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, विद्युतकार एवं फिटर हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 15 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद की भरे जाने की तिथि जो भी बाद में हो से दिनांक 28 02 2007 तक के लिए बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिगालीचौड, जनपद चम्पावत हेतु पदो का विवरण

क्र0सं0	पदो का नाम	स्वीकृत किये जाने वाले पदो की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	कार्यदेशक श्रेणी–तीन	01	6500–10500
2.	व्यवसाय अनुदेशक	03	5000–8000
3.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5000–8000
4.	अनुदेशक कला/गणित	01	5000–8000
5.	सहायक भण्डारी	01	4000–6000
6.	वरिष्ठ सहायक	01	4000–6000
7	कनिष्ठ लिपिक	01	3050–4590
8.	भण्डार/कार्यशाला परिचर	02	2610–3540
9.	अनुसेवक	01	2550–3200
10	चौकीदार	02	2550–3200
11.	स्वच्छकार	01	2550–3200
	योग	15	

2 उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ साथ शासन द्वारा समय समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

प्रारम्भ किये जा रहे व्यवसायों का विवरण :

क्र०सं०	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	20
2	विद्युतकार	01	16
3.	फिटर	01	16

3. उक्त संस्थान के अनावर्तक व्ययों एवं अधिष्ठान के खर्चे हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रुपये 38,28,000/- (रुपये अड़तीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

बजट व्यवस्था : (धनराशि हजार रुपये में)

क्र०सं०	मद का नाम	आवश्यक धनराशि
1	01-वेतन	01
2.	03-महंगाई भत्ता	01
3.	04-यात्रा भत्ता	01
4.	06-अन्य भत्ते	01
5.	08-कार्यालय व्यय	70
6.	09-विद्युत देय	01
7.	10-जलकर/जल प्रभार	01
8.	21-छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	01
9.	26-मशीनें साज-सज्जा/उपकरण	3700
10.	42-अन्य व्यय	50
11	46-महंगाई वेतन	01
	योग :	3828

4. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है जिस व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है वहां ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है मितव्ययता के सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5. व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डी०जी०एस० एण्ड डी की दरों अथवा शर्तों टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन०सी०वी०टी० के मानक के अनुसार ही क्रय किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2007 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

7. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु अनुदान संख्या-16, मुख्य लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार 03-प्रशिक्षण आयोजनागत 003-दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 03-दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान आयोजनागत-00 के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या यू०ओ०-455/वित्त अनुभाग-5/2006 दिनांक 29 जुलाई 2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संख्या 1221/VIII/80–प्रशि०/2006

प्रेषक,

टी० आर० भट्ट,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग देहरादून, दिनांक 10 अगस्त, 2006

विषय : राईआगर, जनपद–पिथौरागढ़ में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए 15 अस्थाई पदों का सृजन किए जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़ के राईआगर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए इसके लिए प्रस्तावित तीन व्यवसाय क्रमशः विद्युतकार, प्लम्बर एवं आशुलिपि हिन्दी हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 15 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद की भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो से दिनांक 28.02.2007 तक के लिए बशर्ते कि ये पद इससे पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राईआगर, जनपद पिथौरागढ़ हेतु पदों का विवरण

क्र०सं०	पदों का नाम	स्वीकृत किये जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	कार्यदेशक श्रेणी–तीन	01	6500–10500
2.	व्यवसाय अनुदेशक	03	5000–8000
3.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5000–8000
4.	अनुदेशक कला/गणित	01	5000–8000
5.	सहायक भण्डारी	01	4000–6000
6.	वरिष्ठ सहायक	01	4000–6000
7.	कनिष्ठ लिपिक	01	3050–4590
8.	भण्डार/कार्यशाला परिचर	02	2610–3540
9.	अनुसेवक	01	2550–3200
10.	चौकीदार	02	2550–3200
11.	स्वच्छकार	01	2550–3200
	योग :	15	

2. उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ–साथ शासन द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

प्रारम्भ किये जा रहे व्यवसायों का विवरण :

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1.	विद्युतकार	01	16
2.	प्लम्बर	01	16
3.	आशुलिपि हिन्दी	01	16

3—उक्त संस्थान के अनावर्तक व्ययों एवं अधिष्ठान के खर्चे हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रुपये 30,28,000/— (रुपये तीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

बजट व्यवस्था : (धनराशि हजार रुपये में)

क्र0सं0	मद का नाम	आवश्यक धनराशि
1.	01—वेतन	01
2.	03—महंगाई भत्ता	01
3.	04—यात्रा भत्ता	01
4.	06—अन्य भत्ते	01
5.	08—कार्यालय व्यय	70
6.	09—विद्युत देय	01
7.	10—जलकर/जल प्रभार	01
8.	21—छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	01
9.	26—मशीनें साज—सज्जा/उपकरण	2900
10.	42—अन्य व्यय	50
11.	48—महंगाई वेतन	01
	योग :	3028

4—उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके नियंत्रण पर स्वीकृत की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5—व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएस एण्ड डी की दरों अथवा शर्तों, टेन्डर/कोटेशन आदि के वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन0सी0वी0टी0 के मानक के अनुसार ही क्रय किया जायेगा।

6—स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31—03—2007 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

7—उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006—07 हेतु अनुदान संख्या—16, मुख्य लेखाशीर्षक 2230—श्रम तथा रोजगार, 03—प्रशिक्षण, आयोजनागत, 003—दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 03—दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान, आयोजनागत—00 के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8—यह आदेश के अशासकीय संख्या यू0ओ0—454/वित्त अनुभाग—5/2006, दिनांक 29 जुलाई, 2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

टी0 आर0 भट्ट,
अपर सचिव।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

कार्यालय–ज्ञाप

30 अगस्त, 2006 ई०

संख्या 1252/VIII/06–59–प्रशि०/2005–निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के पत्रांक: 2078/डीटीईयू/0326/नये स्थान/06, दिनांक 05–07–2006 के द्वारा दी गयी संस्तुति के क्रम में शासनादेश संख्या: 1609/VIII/59–प्रशि०/2005, दिनांक 16 जून, 2006 द्वारा स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भगवानपुर, जनपद हरिद्वार को समस्त सृजित पदों, व्यवसायों एवं मशीनें साज–सज्जा एवं उपकरणों सहित सम्पूर्ण रूप से ग्राम डेलना, विकास खण्ड रुड़की स्थानान्तरित किया जाता है।

आज्ञा से,

आर० के० चौहान,
अनुसचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 37 हिन्दी गजट/409–भाग 1–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

पंजीकृत संख्या- यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2006 ई० (भाद्रपद 25, 1928 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क०, उत्तरांचल, देहरादून।

साधारण औषधियों के दर अनुबन्ध की विज्ञप्ति में संशोधन करने के सम्बन्ध में।

12 जुलाई, 2006 ई०

पत्र सं० 15प/स्टोर/दर अनुबन्ध/2/2005/21387–उपरोक्त विषयक महानिदेशालय के नोटिफिकेशन सं० 15प/स्टोर/दर अनुबन्ध/2/2005/23368, दिनांक 19–10–2005 के प्रस्तर–3 को निम्न प्रकार पढ़ा जाए:–

3--Indenting Officers are requested to make the 90% payment positively within 10 days from the date of receipt of goods/bills unless they have valid reasons for with holding the same in which case the circumstances under which the payment is with held should be communicated to the Director General of Medical Health & F.W., Utttaranchal Dehradun remaining 10% payment will be released after getting satisfactory report of the drug/medicine from analytical laboratory.

शेष शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

साधारण औषधियों के दर अनुबन्ध की विज्ञप्ति में संशोधन करने के सम्बन्ध में।

10 अगस्त, 2006 ई०

पत्र सं० 15प/स्टोर/दर अनुबन्ध/2/2005/24876–उपरोक्त विषयक महानिदेशालय के नोटिफिकेशन सं० 15प/स्टोर/दर अनुबन्ध/2/2005/23368, दिनांक 19–10–2005 के द्वारा साधारण औषधियों के दर अनुबन्ध की विज्ञप्ति जारी की गई थी। भूलवश: टाइपिंग त्रुटि के कारण पैरा सं० '38' छूट गया है। अतः पैरा सं० '38' को निम्नवत् पढ़ा जाए :–

"All the Drawing & Disbursing Officers are Instructed to send the Indent directly to manufacturers and the payments by them shall be made through cheque or demand draft in the name of company only".

उपरोक्त पैरा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। उपरोक्त विज्ञप्ति की शेष शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प०क०,
उत्तरांचल, देहरादून।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 37 हिन्दी गजट/409–भाग 1–क–2006 (कम्प्यूटर/सीडियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।